

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: आदेश ::**

आदेश संख्या :- 5/आरोप-1-16/2015 का. 4765/राँची, दिनांक 29 मई, 2015

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1041/रा0, दिनांक-18.03.2015 द्वारा श्री जेवियर हेरेंज, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के परन्तुक-II का दुरुपयोग कर ऐसे मामले जिनमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के substantial structure नहीं थे एवं 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिये बिना समुचित जाँच किये आदिवासी भूमि हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित कर देने संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

2. उक्त आरोपों के लिए श्री हेरेंज को असैनिक सेवाएँ(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(क)(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची रहेगा।

4. निलंबन अवधि में श्री हेरेंज को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)

सरकार के उप सचिव।

आदेश संख्या :- 5/आरोप-1-16/2015 का. 4765/राँची, दिनांक 29 मई, 2015

प्रतिलिपि- विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।